संशोधन आदेश

संख्या- 42 /2020 / 251 /चार-2020

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 जनवरी , 2020

विषय:- अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, अयोध्या में दिव्यांगजन हितैषी हेतु रैम्प बनाने हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2019 में आशिंक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-128/2019/1646/चार-2019 दिनांक 24 सितम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-128/2019/1646/चार-2019 दिनांक 24 सितम्बर, 2019 में कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण इकाई फैजाबाद का नाम पृष्ठांकन में अंकित होने से छूट गया है। अत: पृष्ठांकन में कार्यदायी संस्था का नाम अंकित करते हुए आंशिक संशोधन आदेश जारी किया जा रहा है।

3- शासनादेश संख्या-128/2019/1646/चार-2019 दिनांक 24 सितम्बर, 2019 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या - 42 /2020 / 251 (1)/चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण इकाई फैजाबाद
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/